	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 04, मंगलवार, *शाके* 1946-जून 25, 2024 *Asadha 04, Tuesday , Saka 1946- June 25, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी एवम उपखण्ड अधिकारी भरतपुर जिला भरतपुर

अधिसूचना

भरतपुर, मई 23, 2024

(भू-अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा4(1)

संख्या 7428977 :-भू-अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार एवम राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप-6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प०1 150 राज0/6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार भरतपुर जिले की तहसील भरतपुर (ग्राम-जघीना,तोंगा) एल.सी.नंबर246 पर रेल्वे आवॅर ब्रिज निर्माण में निम्नानुसार प्रभावित गाँवोमें भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित्त है।

ग्राम- जघीना विवरण ग्राम-तोंगा विवरण

क्र.सं.	खसरासं.	कुलरकबा (है0)	अवाप्तकिए जाने वाला क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4
1	8121	0.19	0.0058
2	8121/10545	0.1000	0.0064
3	8125/10546	0.1100	0.003
4	8125	1.0100	0.0142
5	8126	0.3200	0.0116
6	8128	0.100	0.0095

क्र.सं.	खसरासं.	कुलरकबा (है0)	अवाप्तकिए जाने वाला क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4
1	587	0.3200	0.0210
2	604	0.2500	0.0200
3	609	0.1100	0.0200
4	610	0.2100	0.0076
5	605	0.2600	0.0140
6	612	0.1800	0.0168

7	8129	0.19	0.0026
8	8130	0.51	0.0542
9	10577/8157	1.08	0.0028
10	8157/10714	0.11	0.0035
11	8140	0.32	0.0031
12	8139	0.29	0.001
13	8138	0.42	0.0014
14	8133	1.34	0.0402
15	10187	0.33	0.0226
16	10188	0.43	0.0384
17	10576/8157	0.014	0.0013
18	8132	0.06	0.0132
19	8131	0.98	0.9888
20	8112	0.68	0.1824
योग	**किता**		**1.406**

7	607	0.4200	0.0300
8	615	0.3200	0.0448
9	614	0.3000	0.0304
10	613	0.3700	0.0140
11	617	0.6300	0.0450
12	608	0.8300	0.8300
13	616	0.3400	0.3400
योग	**किता**		**1.4336**

- अधिसुचित भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनअधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या ३०/२०१३) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11(1) के प्रावधानों के तहत कीजाएगी।
- सरकार द्वारा अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० खण्ड भरतपुर व उनके स्टाफ/कर्मचारी को इलाके में किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने, भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोरकरने व परियोजना केकिर्यान्वन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है।
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा होनेके समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा याकोई सव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
- परियोजना हेतू नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतू सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड गंगापुर सिटी द्वारा सामाजिक समाघात हेतु एजेन्सी का चयन करवाया जायेगा।
- सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित गाँवो में सामाजिक समाघात निर्धारण भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापनमें उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगा। सामाजिक समाघात

निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

1. संस्थान द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गावों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी तत्पश्चात प्रभावित गाँवो में पर्याप्तप्रचार-प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप् से रिकार्ड किया जावेगा।
3. जनसुनवाई के दौरान आये सुझावों/ आपतियों के समुचित समाधा को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवम सामाजिक समाघात प्रबन्ध रिपोर्ट तैयार की जावेगी।
4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गावों में सम्बंधित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी।
5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद का अक्रत और शून्य बना देगा।

6.सामाजिक समाघान निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि में पूर्ण सम्पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है।

सुनील गुप्ता,
सयुक्त सचिव (पथ),
सा. नि. विभाग राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।